

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ:

दिनांक: 31 अगस्त, 2006

विषय:- मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा हेतु नवीन प्रारूप-1 एवं 2 पर सूचना प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण जनोपयोगी योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.86 करोड़ छात्र/छात्राओं को विद्यालय परिसर में ही गर्म पका-पकाया भोजन दिया जा रहा है, जिससे इन बच्चों को शारीरिक अभिवृद्धि हेतु पोषण प्राप्त हो सके।

योजना के अनुश्रवण हेतु पूर्व निर्धारित सभी मासिक प्रगति आख्या के प्रपत्रों को अतिक्रमित करते हुए दो नवीन प्रपत्र निर्धारित किये जा रहे हैं। यह प्रारूप निम्नानुसार हैं-

(अ) प्रपत्र-1 योजना का आच्छादन- योजना से आच्छादित छात्र/छात्राओं की संख्या, खाद्यान्न की आवश्यकता, आपूर्ति, इसके उपभोग तथा विद्यालयों में दिये जा रहे भोजन की नियमितता से संबंधित है।

(ब) प्रपत्र-2 निरीक्षण आख्या- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश 29-3-06 के माध्यम से जनपद तथा विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को प्रत्येक माह में कम से कम 5 विद्यालयों का मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना है। प्रपत्र-2 को भरते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- प्रपत्र 2 के कालम संख्या 2 में जनपदीय तथा विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह में किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। सूच्य है कि जनपद स्तरीय टास्क फोर्स में कुल 14 सदस्य हैं तथा प्रत्येक सदस्य को माह में कम से कम 5 निरीक्षण करने हैं इस प्रकार जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा 14 × 5 = 70 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना प्राविधानित है।
- इसी प्रकार से विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स में कुल 08 सदस्य हैं जिनमें प्रत्येक सदस्य को 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। इस प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर प्रति माह 40 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है।

उदाहरण के लिए यदि किसी जनपद में कुल 7 विकास खण्ड है तो

- (1) जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षित विद्यालयों की संख्या त्र 14 ×
5 = 70 विद्यालय
- (2) प्रत्येक विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स से अपेक्षित निरीक्षण
त्र 8 × 5 = 40 विद्यालय
- (3) 7 विकास खण्डों में विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अपेक्षित विद्यालय त्र 8
× 7 × 5 = 280 विद्यालय
- (4) इस प्रकार से प्रत्येक माह में इस जनपद विशेष में जनपदीय तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा 70 + 280 = 350 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना होगा। अतः प्रपत्र 2 के कालम 2 में 350 की संख्या अंकित की जाएगी।
- प्रपत्र-2 के कालम संख्या 3 में जनपदीय टास्क फोर्स तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा माह में किए गये वास्तविक निरीक्षणों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

- प्रारूप-2 के कालम-4 में उन विद्यालयों की संख्या का उल्लेख करना है, जिनमें कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।
- प्रारूप-2 के कालम-5,6,7,8, व 9 में योजना का कार्य असंतोषजनक पाये जाने के कारणों का उल्लेख करना है।
- प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त टास्क फोर्स की बैठक होगी एवं चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा किए गये निरीक्षण के प्रति प्रेषित निरीक्षण आख्या के प्रति प्रभावी कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रारूप 1 व 2 पर सूचना प्रत्येक माह की 6 तारीख तक मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल को उपलब्ध करा देंगे। मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल के समस्त जनपदों की सूचना संकलित करके प्रत्येक माह की 8 तारीख तक मध्यान्ह भोजन योजना निदेशालय में उपलब्ध करायेंगे।

अनुरोध है कि योजना को प्रभावी बनाने हेतु नियमित रूप से समीक्षा करते हुए प्रारूप 1 व 2 पर सूचना प्रत्येक माह एतदर्थ निर्धारित तिथि तक निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,
ह0
(जे0एस0 दीपक)
सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन,

पृ0सं0— / 2006-07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एम0डी0एम0 योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0
(कामरान रिजवी)
विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन
लखनऊ।